



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य
थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव।

दिनांक 03.03.2023

मोबाइल लूटने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार, लूट गया मोबाइल बरामद एवं तीन मोटरसाइकिल सीज

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा मोबाइल लूटने वाले तीन अभियुक्तगण को कब्जे से लूटा गया मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से मिली तीन मोटरसाइकिल को सीज किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 02.03.2023 को अब्बास पुत्र लतीफ नि० जवाहर नगर थाना हसनगंज उन्नाव का मोबाइल तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट लेने के संदर्भ में थाना हसनगंज पर मु०अ०सं० 53/2023 धारा 392/411 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 03.03.2023 को उ०नि० योगेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा मटरिया बार्डर संदिग्ध व्यक्तियों / वाहनों की चेकिंग के दौरान औरास की तरफ से आ रहे तीन वाहनों को रोका गया जो सकपका कर भागने की कोशिश किये किन्तु एक बारगी दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया गया तथा पूछताछ की गयी तो तीनों ने अपना नाम क्रमशः 1. शिवम कुमार प्रजापति पुत्र रमेश चन्द्र 2. राजीव कुमार तिवारी पुत्र राजेश तिवारी 3. कौशल बाबू प्रजापति पुत्र अमर सिंह नि०गण ग्राम चिरकुआ थाना बिधूना जनपद औरैया हालपता किराये का मकान राजू सिंह ग्राम डालखेड़ा थाना औरास, उन्नाव बताया। जामातलाशी में शिवम उपरोक्त के कब्जे से लूटा गया टेक्नो कंपनी का स्मार्टफोन बरामद किया गया एवं तीनों अभियुक्तगण के पास से बरामद मोटरसाइकिलों को सीज किया गया। उक्त लूट के मुकदमें का पुलिस द्वारा काफी सतर्कता व तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1- शिवम कुमार प्रजापति पुत्र रमेश चन्द्र नि0 ग्राम चिरकुआ थाना बिधुना जनपद औरैया हालपता किराये का मकान राजू सिंह ग्राम डालखेड़ा थाना औरास,उन्नाव उम्र 24 वर्ष ।
- 2- राजीव कुमार तिवारी पुत्र राजेश तिवारी 32 वर्ष नि0 ग्राम चिरकुआ थाना बिधुना जनपद औरैया हालपता किराये का मकान राजू सिंह ग्राम डालखेड़ा थाना औरास,उन्नाव उम्र 32 वर्ष ।
- 3- कौशल बाबू प्रजापति पुत्र अमर सिंह नि0 ग्राम चिरकुआ थाना बिधुना जनपद औरैया हालपता किराये का मकान राजू सिंह ग्राम डालखेड़ा थाना औरास,उन्नाव उम्र 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद लूट का स्मार्ट मोबाइल टेक्नो कम्पनी का ।
2. तीन अदद मोटर साइकिल सीज सुदा एमवी एक्ट में ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
हे0का0 कन्हैया लाल
का0 मुकेश कुमार
का0 कृष्णपाल
का0 पंकज कुमार





उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य
थाना मौरावां, जनपद उन्नाव।

दिनांक 03.03.2023

100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस व आबकारी टीम द्वारा 02 अभियुक्ताओं को 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 03.03.2023 को थाना मौरावां पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा अभियान के दौरान थाना मौरावां क्षेत्र के (दृगपालगंज, संदाना) से दो अभियुक्ताओं को अवैध देशी शराब बिक्री/परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर नियमानुसार 1. मु0अ0सं0 101/2023 धारा 60 बनाम सुन्दारा पत्नी मंगल नि0 दृगपालगंज थाना मौरावां, उन्नाव, 2. मु0अ0सं0 102/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम मालती पत्नी महादेव नि0 दृगपालगंज थाना मौरावां उन्नाव पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का विवरण-

1. सुन्दारा पत्नी मंगल नि0 दृगपालगंज थाना मौरावां, उन्नाव
2. मालती पत्नी महादेव नि0 दृगपालगंज थाना मौरावां उन्नाव

बरामदगी का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तागण उपरोक्त के कब्जे से कुल 100 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई।

पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री शिव कुमार
2. उ०नि० श्री दीप चन्द्र प्रसाद
3. हेड का० प्रकाश चन्द्र
4. म०का० माधुरी शर्मा
5. म०का० जोनिका

आबकारी टीम

1. हेड का० आ० राम प्रकाश दीक्षित





उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना अजगैँन, जनपद उन्नाव।

दिनांक 03.03.2023

उन्नाव पुलिस द्वारा गोकश सोनू पुत्र रामजान अली नि० पशु चिकित्सालय के सामने सिकन्दरपुर बन्थरा थाना बन्थरा जनपद लखनऊ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाजविरोधी क्रियाकलापों से अर्जित की गई अवैध चल/अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत कुल 63 लाख 01 हजार 72 रुपए को जब्त/कुर्क किया गया।

• **संक्षिप्त विवरण** - मु०अ०सं० 200/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधिनियम थाना अजगैँन में नामित अभियुक्त सोनू पुत्र रामजान अली नि० पशु चिकित्सालय के सामने सिकन्दरपुर बन्थरा थाना बन्थरा जनपद लखनऊ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा उपरोक्त अभियोग में विवेचक द्वारा साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र मा० न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त सोनू द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक/भौतिक लाभ हेतु थाना क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों व जनपदों में गोकशी कर अवैध रूप से मांश को बेचता है तथा आपराधिक कृत्य कारित कर निम्नांकित संपत्ति का अर्जन किया है एवं गोकशी के अपराध से धन अर्जित कर अपनी माँ (शायरा बानो) के नाम मकान/प्लाट क्रय किये गये हैं तथा बैंक खातों में पैसा जमा किया गया है। शायरा बानो उपरोक्त के सोनू एवं चांद नाम के दो पुत्र हैं। चांद पुत्र रमजान अली, शायरा बानों पत्नी रमजान अली व रमजान अली पुत्र छट्टू की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, जिससे संपत्तियां क्रय की जा सके अथवा बैंक में धनराशि जमा की जा सके। संपत्तियों का क्रय एवं बैंक में उल्लिखित धनराशि अभियुक्त सोनू द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन से जमा की गई है।

आज दिनांक 03.03.2023 को जिलाधिकारी महोदया उन्नाव के आदेश के अनुपालन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के निर्देशन में वाद संख्या 14/2023 धारा

14(1) गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए क्षेत्राधिकारी हसनगंज, नायब तहलीलदार सरोजनी नगर जनपद लखनऊ एवं प्रभारी निरीक्षक अजगैन मय भारी पुलिस बल द्वारा अभियुक्त सोनू उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित चल/अचल संपत्ति कीमत करीब 63,01,072.24/- ₹0 को कुर्क/जब्त किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र 0 सं 0	ग्राम / स्थान का नाम	गाटा सं0	खातेदार के हिस्से का क्षेत्र	भूमि की मालियत	भूमि क्रय करने का दिनांक
1.	ग्राम फरुखाबाद चिल्लावा वार्ड हिंदनगर तहसील सरोजनी नगर जनपद लखनऊ	खसरा संख्या 170 व 171	92.936 व0मी0	भूमि की मालियत 8,35,500/- ₹0 मकान निर्माण की मालियत 34,75,488.42 /- ₹0 कुल योग 43,10,988.42 /- ₹0	06.02.2021
2.	शायरा पत्नी रमजान अली (माँ अभियुक्त सोनू)	यूको बैंक शाखा भटगांव बंधरा लखनऊ	खाता संख्या 12790100003707	19,90,083.82/- ₹0	
संपूर्ण योग-				63,01,072.24/- ₹0	

• आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू उपरोक्त-

• क्र.सं. मु0अ0सं0 धारा/ सम्बन्धित थाना

- 1. 230/17 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अचलगंज
- 2. 231/17 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अचलगंज
- 3. 236/17 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अचलगंज

- 4. 317/17 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना अचलगंज
- 5. 315/19 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अजगैन
- 6. 375/19 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अजगैन
- 7. 199/19 379 भा0दं0वि0 थाना गंगाघाट
- 8. 236/19 379 भा0दं0वि0 व 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना सोहरामऊ
- 9. 302/19 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना हसनगंज
- 10. 326/19 307/34 भा0दं0वि0 थाना हसनगंज
- 11. 327/19 420/467/468/471 भा0दं0वि0 व 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना हसनगंज
- 12. 328/19 3/25/27 आम्स एक्ट थाना हसनगंज
- 13. 373/21 307 भा0दं0वि0 व 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना अजगैन
- 14. 200/22 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना अजगैन
- 15. 376/22 379/411 भा0दं0वि0 व 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना अजगैन

